| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्र.सं. 106/2023 जीसीएमएस : 2023/200<br>देवाराम बनाम बलवीर वगैरा<br>प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी | नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये |
|---|---|---|
| 27.01.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण से संबंधित मूल वाद सं. 106/2010 का अवलोकन किया। मूल वाद में प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना अंकित है। विधिक प्रतिनिधि रिकार्ड पर लिया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की तलबी का औचित्य नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया है। मूल वाद पूर्व में साक्ष्य वादी हेतु तत्पश्चात प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिवादी के वारिसान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के स्तर पर लम्बित था जो दिनांक 15.03.2022 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसको अपास्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। चूंकि प्रकरण पूर्व में साक्ष्य के स्तर पर लम्बित था ऐसी स्थिति में न्यायहित में वाद को रेस्टोर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है परन्तु प्रकरण में प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में 200 रू. कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और मूल वाद सं. 106/2010 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 को निरस्त कर मूल वाद को पुनः उसी नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न हो।<br><br>शकुन्तला<br>R.A.S.<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्री विजयनगर | |

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.01 10:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner